

कार्यालय: महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. ~~सभी~~ महाप्रबन्धक,  
हरियाणा राज्य परिवहन,
2. उडनदस्ता अधिकारी,  
आई0एस0बी0टी0-दिल्ली


क्रमांक 464-65 / टी0आई-3

दिनांक 19-9-2014

विषय बसों को पुल (Flyover) के ऊपर से ले जाने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 13703-22 / टी0आई0-3 / दिनांक 22.12.2009, क्रमांक 5912-35 / टी0आई0-4 / दिनांक 17.02.2014, क्रमांक 7135 / टी0आई0-4 / दिनांक 30.04.2014 व क्रमांक 7127 / टी0आई0-4 / दिनांक 05.05.2014 के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी चालक पुल (Flyover) के साथ नीचे बने निर्धारित बस ठहराव पर बसें रोककर यात्रियों को बिठाएं व उतारेंगे (वोल्वों बसों को छोड़कर)। ऐसा करने से जहां एक ओर यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध होती है वहीं दूसरी ओर विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। बार-बार हिदायतें जारी करने के बावजूद भी इस कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि राज्य परिवहन की बसें पुल के ऊपर से होकर आ-जा रही हैं। अतः आप पुनः अपने आगार के सभी चालकों/परिचालकों को निर्देश/हिदायत जारी करें कि वे बसों (वोल्वों बसों को छोड़कर) को पुल (Flyover) के ऊपर से न ले जा कर पुल के नीचे निर्धारित बस ठहराव से होकर ले जाएंगे। इस बारे उल्लंघना करने वाले चालकों/परिचालकों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन  
हरियाणा, चण्डीगढ़

  
19/9/14